न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी – हरिसिंह लम्बोरा आर.ए.एस.

राजस्व मूल वाद संख्या : 08/2016 सन् 2016

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. सुरेश चन्द्र पुत्र मानमल जाति ओसवाल (चोरड़िया)		1. मोहन लाल पुत्र सेसा राम
2. जयराम पुत्र दीपा राम जाति सीरवी (हाम्बड़) निवासी पिचियाक तहसील बिलाड़ा		2. किशन लाल पुत्र सेसा राम जातियान सीरवी (काग) निवासी बेरा पीपलिया चक नं. 1 बिलाड़ा
		3. सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. वादीगण की ओर से श्री बिरम राम विश्नोई एडवोकेट उपस्थित।
2. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से महेन्द्र सिंह राठौड़ एडवोकेट उपस्थित।
3. प्रतिवादी संख्या 03 की ओर से सरकारी पैरोकार

–:: निर्णय ::– दिनांक 28–06–2017

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत होने पर मिसल को ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। मामले का संक्षिप्त विवरण विश्लेषण एवं निष्कर्ष इस प्रकार है:– वादीगण सुरेश चन्द्र पुत्र श्री मान मल जाति ओसवाल (चोरड़िया) व श्री जयराम पुत्र श्री दीपा राम जाति सीरवी (हाम्बड़) निवासीगण ग्राम पिचियाक तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की ओर से एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर जाहिर किया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एक ही तहसील के निवासी है एवं प्रत्यक्ष रूप से कृषि व्यवसाय पर निर्भर है। वादीगण ने अपने वाद में आगे जाहिर किया कि प्रतिवादी संख्या 03 को भूमिधारी होने से तरदीदी पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है जिससे वादीगण को न्यायालय श्री में वाद दायर करने से पूर्व विधिक प्रावधानों के तहत अन्तर्गत धारा 80 सी. पी. सी. के तहत नोटिस दिये जाने की आवश्यकता शेष नहीं रही है। वादीगण ने अपने वाद में आगे जाहिर किया कि वादीगण की खरीदसुदा एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि कस्बा बिलाड़ा चक नम्बर–01 की सरहद में स्थित बेरा पीपलिया पर स्थित है। राजस्व रैकर्ड के मुताबिक खसरा संख्या 700 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा किस्म चाही अलीफ जो खाता संख्या 1079 पर दर्ज है जिस पर उभय पक्षकारान मौके पर अपने–अपने हक व हिस्से की भूमि पर भौतिक रूप से काबिज है। वादीगण ने अपने वाद में आगे जाहिर किया कि वाद पत्र के पद संख्या 03 में उल्लेखित कृषि भूमि खसरा संख्या 700 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा किस्म चाही अलीफ जिसमें से वादीगण ने उक्त कुल रकबे में से 1/5 वां हिस्सा सप्रतिफल के प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के स्वर्गीय पिता श्री सोसा राम पुत्र श्री जसा राम जाति सीरवी (काग) बेरा पीपलिया चक नम्बर–01 से दिनांक 28–7–1994 को जरिये विकय विलेख के पुस्तक संख्या 01 जिल्द सं. 65 के कम सं. 387/95 पर दर्ज के अनुसार कय कर उक्त आराजी का भौतिक कब्जा विकेता प्रतिवादी सं. 1 व 2 के जीवनकाल में प्राप्त कर लिया था। उक्त आराजी को आगे वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से जाना जायेगा। विकय विलेख की प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न है। वादीगण ने अपने वाद में आगे जाहिर किया कि वादीगण द्वारा कय की कृषि भूमि के पड़ौस मौके पर भौतिक कब्जे अनुसार जो वादीगण ने वर्ष 1994 में प्राप्त किये थे जो निम्न प्रकार से है:– 1. उतर में मदन लाल आचार्य की कृषि भूमि 2. दक्षिण में नेना राम जी की कृषि भूमि 3. पूरब में आम सड़क जोधपुर स्थित है तथा 4. पश्चिम में प्रतिवादी सं. 1 व 2 के हक व हिस्से की उक्त खसरे की शेष कृषि भूमि स्थित है। उक्त पड़ौसियान के मध्य स्थित कृषि भूमि जो वादीगण के कब्ज काश्त में एवं खरीदसुदा है। जिस पर उक्त खसरा संख्या 700 के कुल रकबे के 1/5 हिस्से पर वादीगण का कब्जा काश्त है। किन्तु राजस्व कर्मियों की भूल से वादीगण द्वारा कय की गई कृषि भूमि का अमलदरामद राजस्व रैकर्ड में होने से रह गया एवं कालान्तर में मूल रेकार्डेड खातेदार एवं विकेता प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के स्वर्गवास के पश्चात राजस्व रैकर्ड में वादीगण के नाम का इन्द्राज नहीं कर राजस्व रैकर्ड में बैचानकर्ता सेसा राम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम विरासतन

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा सत्यमेव जयते

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी

राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर दिये गये। जिसका ज्ञान वादीगण को अभी हाल ही में दिनांक 9–01–2016 को हुआ। जब वादीगण ने उक्त वादग्रस्त आराजी के समतलीकरण हेतु सम्बन्धित कृषि विकास बैंक शाखा बिलाड़ा से सम्पर्क किया तो वादीगण को मालुमात हुई कि वादग्रस्त आराजी जो वादीगण की खरीदसुदा एवं कब्जे काश्त की है उस पर राजस्व कर्मचारियों ने भूल से विरासतन राजस्व रैकर्ड में अमलदरामद प्रतिवादी संख्यचा 1 व 2 का कर दिया है। तब वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 व 2 से सम्पर्क किया एवं ऋण पत्रावली पर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने का निवेदन किया इस पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 वादीगण से नाराज हो गये एवं वादीगण को दिनांक 11.01.2016 को कस्बा बिलाड़ा में ऐलानिया धमकी दी कि राजस्व रैकर्ड में प्रतिवादी संख्या 01 व 2 का नाम दर्ज है एवं उक्त मामले में वादग्रस्त आराजी से वादीगण को अगले कृषि वर्ष में जबरन बैदखल कर देगें। जिसके लिये उक्त वाद पत्र वादीगण को न्यायालय श्री के समक्ष पेश करना पड़ रहा है। वादीगण ने अपने वाद में आगे वाद कारण, न्यायालय क्षैत्राधिकार, वाद पत्र पर उचित कोर्ट फीस व वाद अन्दर मयाद बताते वाद के अन्त में जाहिर किया कि वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्व घोषणा खातेदारी की डिक्री इस आश्य की जारी की जावे कि कस्बा बिलाड़ा चक–01 में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 700 के कुल रकबे के 1/5 हिस्से के वादीगण खातेदार काश्तकार है एवं इस मुतलिक प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का राजस्व रैकर्ड से नाम वादीगण के हक व हिस्से तक हटाये जाने की डिक्री जारी की जावे। वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञाा की डिक्री इस आश्य की जारी की जावे कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 700 के 1/5 हिस्से की भूमि जिसके पड़ौस वाद प. के पद संख्या 4 में उल्लेखित है उनके कब्जे काश्त में एवं वादीगण के उपयोग व उपभोग में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखलअन्दाजी उत्पन्न करें एवं न ही किसी अन्य से करावे। अन्य अनुतोष जो वादीगण विधिक रूप से प्राप्त करने के अधिकारी हो न्याय हित में वादीगण के पक्ष में डिक्री जारी करावे।

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से श्री महेन्द्र सिंह राठौड़ एडवोकेट ने वकालत नामा प्रस्तुत किया एवं प्रतिवादी संख्या 3 सरकारी पैरोकार उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से वाद पत्र का जवाब दावा प्रस्तुत किया जिसमें वाद पत्र के पद संख्या 01, 03 व 04 को सही होना स्वीकार किया एवं वाद पत्र के पद संख्या 02 को विधिक, पद संख्या 05 वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी में कय किये गये भू–भाग से सम्बन्धित तथा उक्त पड़ौसियान की स्थित मौके पर वादीगण के भौतिक कब्जे से सम्बन्धित बताते हुए शेष तथ्यों की जानकारी वादीगण को एवं राजस्व रेकार्ड से सम्बन्धित जानकारी प्रतिवादी संख्या 03 को होना बताते हुए वाद पत्र के पद संख्या 6 व 8 को कानूनी तथा वाद पत्र के पद संख्या 09 को प्रार्थना वादीगण बतायी गयी। प्रतिवादी संख्या 02 ने अपने जवाब दावा के अन्त में जाहिर किया कि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पिता स्व. श्री शेषा राम पुत्र जस्सा राम जाति सीरवी निवासी बिलाड़ा द्वारा अपने जीवन काल में बैचान किये गये विकय विलेख से वादीगण को कृषि भूमि का भू–भाग सुपुर्द किया है तो वादीगण के पक्ष में डिक्री जारी किये जाने की स्थिति में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी संख्या 03 सरकारी पैरोकार द्वारा इस प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं करने से उनका जवाब बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा एडमिटेड जवाबदावा प्रस्तुत करने से वाद में तनकीयात कायम की आवश्यकता नहीं रही। वादीगण की ओर से अपने साक्ष्य में पी.डब्लू 01 जयराम व पी. डब्लू–2 सुरेश चन्द्र के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये। प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य से जिरह नहीं की गयी। प्रतिवादीगण की ओर से इस प्रकरण में कोई साक्ष्य पेश नहीं करने से उनकी साक्ष्य बन्द की गयी।

प्रकरण में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। वकील वादीगण श्री बिरम राम विश्नोई ने वाद के तथ्यों को दोहराया एवं जाहिर किया कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से एडमिटेड जवाब दावा प्रस्तुत किया जा चुका है तथा प्रतिवादीगण वादीगण के पक्ष में पंजीबद्व दस्तावेज के माफिक डिक्री जारी करने में पूर्णतया सहमत है। इसलिये प्रकरण वादीगण के पक्ष में होने से वादीगण के हक में माफिक प्रार्थना के डिक्री एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करावे। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जाहिर किया कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता

सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

द्वारा जरिये पंजीबद्व दस्तावेज दिनांक 27–5–1994 के अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में हस्तानान्तरित कर दिया है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का वादग्रस्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं रहा है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह तथ्य सामने आया कि ग्राम बिलाड़ा चक–1 तहसील बिलाड़ा की सीमा में स्थित भूमि वर्तमान जमाबन्दी खसरा नम्बर 700 कुल रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा 02 विस्वांसी किस्म चाही अलीफ वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के सह खातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादीगण 1 व 2 के पिता स्व. शेषा राम पुत्र जसा राम जाति सीरवी निवासी बिलाड़ा ने अपने हक व हिस्से की भूमि में से 1/5 वां हिस्सा जरिये रजिस्ट्रर्ड बैचान दिनांक 27–5–1994 के वादीगण जयराम पुत्र दीपा राम जाति सीरवी (हाम्बड़) निवासी पिचियाक व सुरेश चन्द्र पुत्र मानमल जाति ओसवाल (चोरड़िया) निवासी पिचियाक को बैचान कर दिया था। उक्त बैचान दस्तावेज के माफिक राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद नहीं होने से फौतेदगी नामान्तरकरण के द्वारा उक्त आराजी का नामान्तरकरण संख्या 3989 जरिये विरासत दिनांक 29–5–2014 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम सैवन से राजस्व रैकर्ड में दर्ज कर दी गयी। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपने जवाब दावा में यह स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि उनके पिता द्वारा अपने जीवनकाल में वादीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड बैचान के विक्रय कर दी थी। उक्त भूमि बन्ट वादीगण के नाम इन्द्राज होने में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को कोई आपत्ति नहीं है। अतः वादीगण सुरेश चन्द्र पुत्र मानमल जाति ओसवाल (चोरड़िया) व जयराम पुत्र दीपा राम जाति सीरवी (हाम्बड़) निवासीगण पिचियाक की ओर से प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता हूँ।

अतः वादीगण का वाद बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्व डिकी किया जाता है कि मौजा बिलाड़ा चक–1 में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 700 कुल रकबा 1 बीघा 06 विस्वा 02 विस्वांसी के 1/5 वा हिस्सा के वादीगण को बहिस्सा बराबर–बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं इस मुतलिक प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का राजस्व रैकर्ड से नाम वादीगण के हक व हिस्से तक हटाये जाने का आदेश दिया जाता है। वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी इस आशय की जारी की जाती है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 700 के 1/5 हिस्से की भूमि मे वादीगण के कब्जे काश्त एवं उपयोग व उपभोग में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखलन्दाजी उत्पन्न करें एवं न ही किसी अन्य से करावे। तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि माफिक निर्णय के राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें । इस आशय का डिकी पर्चा जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

(हरिसिंह लम्बोरा)
सहायक कलक्टर एवं
उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 28.06.2017 को मेरे निर्देशन में कम्पयूटर से टंकित करवाया जाकर सरे इजलाश सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

(हरिसिंह लम्बोरा)
सहायक कलक्टर एवं
उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

डिकरी ब मुकद्मे इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

(Civil Procedure Code Appendix D-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बिलाड़ा जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– हरिसिंह लम्बोरा R.A.S.

राजस्व मूल वाद संख्या : 08/2016 सन् 2016

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. सुरेश चन्द्र पुत्र मानमल जाति ओसवाल (चोरड़िया) 2. जयराम पुत्र दीपा राम जाति सीरवी (हाम्बड़) निवासी पिचियाक तहसील बिलाड़ा		1. मोहन लाल पुत्र सेसा राम 2. किशन लाल पुत्र सेसा राम जातियान सीरवी (काग) निवासी बेरा पीपलिया चक नं. 1 बिलाड़ा 3. सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक :– 28.06.2017

वादी की ओर से श्री बी. आर. विशनोई एडवोकेट की व प्रतिवादी की ओर से श्री महेन्द्र सिंह राठौड़ व सरकारी पैरोकार की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 28.06.2017 को हरिसिंह लम्बोरा पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश होने पर, आदेश किया जाता है एवं डिकी दी जाती है कि– वादीगण का वाद बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्व डिकी किया जाता है कि मौजा बिलाड़ा चक–1 में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 700 कुल रकबा 1 बीघा 06 विस्वा 02 विस्वांसी के 1/5 वा हिस्सा के वादीगण को बहिस्सा बराबर–बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं इस मुतलिक प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का राजस्व रैकर्ड से नाम वादीगण के हक व हिस्से तक हटाये जाने का आदेश दिया जाता है। वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी इस आशय की जारी की जाती है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 700 के 1/5 हिस्से की भूमि मे वादीगण के कब्जे काश्त एवं उपयोग व उपभोग में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखलन्दाजी उत्पन्न करें एवं न ही किसी अन्य से करावे। तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि माफिक निर्णय के राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें । इस आश्य का डिकी पर्चा जारी किया गया।

यह डिकी आज दिनांक 28.06.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(हरिसिंह लम्बोरा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28.06.2017 को जारी की हुई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	–	–	स्टाम्प वकालतनामा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा	–	–	स्टाम्प अर्जी	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	वजह सबूत महनताना वकील	–	–
महनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
फीस कमिश्नर	–	–	फीस कमिश्नर	–	–
बाबत् इजराज हुक्मनामा	–	–	बाबत् हुराय हुक्मनामा	–	–
मुतफरिक	–	–	मुतफरिक	–	–
	–	–	दर0 तलबाना	–	–
मीजान	–	–	मीजान	–	–

नोट :– इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(हरि सिंह लम्बोरा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा